[1][Rule 144A : Recovery of penalty by sale of goods or conveyance detained or seized in transit

(1) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) of section 129 within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3) of the said section 129, the proper officer shall proceed for sale or disposal of the goods or conveyance so detained or seized by preparing an inventory and estimating the market value of such goods or conveyance:

Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.

(2) The said goods or conveyance shall be sold through a process of auction, including e-auction, for which a notice shall be issued in **FORM GST DRC-10** clearly indicating the goods or conveyance to be sold and the purpose of sale:

Provided that where the person transporting said goods or the owner of such goods pays the amount of penalty under sub-section (1) of section 129, including any expenses incurred in safe custody and handling of such goods or conveyance, after the time period mentioned in sub-rule (1) but before the issuance of notice under this sub-rule, the proper officer shall cancel the process of auction and release such goods or conveyance.

(3) The last day for submission of bid or the date of auction shall not be earlier than fifteen days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (2):

Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.

(4) The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer, to make the bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders, forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount, as the case may be.

(5) The proper officer shall issue a notice to the successful bidder in **FORM GST DRC-11** requiring him to make the payment within a period of fifteen days from the date of auction:

Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.

---

1 Rule 144A inserted by Noti. No. 40/2021–Central Tax, dt. 29-12-2021 w.e.f. 01-01-2022.

(6) On payment of the full bid amount, the proper officer shall transfer the possession and ownership of the said goods or conveyance to the successful bidder and issue a certificate in **FORM GST DRC-12**.

(7) The proper officer shall cancel the process and proceed for re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids.

(8) Where an appeal has been filed by the person under the provisions of sub-section (1) read with sub-section (6) of section 107, the proceedings for recovery of penalty by sale of goods or conveyance detained or seized in transit under this rule shall be deemed to be stayed:

Provided that this sub-rule shall not be applicable in respect of goods of perishable or hazardous nature.**]**

[1][नियम 144क : अभिवहन में प्रतिधारित या अभिगृहित माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्ति की वसूली

(1) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उक्त धारा 129 की उपधारा (3) पारित आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण के बाजार मूल्य की सूची तैयार करके और उसका प्राकल्लन करके इस प्रकार प्रतिधारित या अभिगृहीत किए गए माल या प्रवहण के विक्रय या निपटान के लिए अग्रसर होगा :

परन्तु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल प्रकृति में नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ–साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा।

(2) उक्त माल या प्रवहण का विक्रय, नीलामी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत ई–नीलामी भी है, किया जाएगा, जिसके लिए विक्रय किए जाने वाले माल या प्रवहण और विक्रय के प्रयोजन को स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–10** में नोटिस जारी किया जाएगा :

परन्तु जहां उक्त माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति ऐसे माल का स्वामी, उपधारा (1) में वर्णित समयावधि के पश्चात्, किन्तु इस उपनियम के अधीन नोटिस जारी किए जाने से पहले, धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का, जिसमें ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा और प्रबंधन पर उपगत कोई व्यय भी है, संदाय करता है, वहां समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण की नीलामी प्रक्रिया को रद्द करेगा और ऐसे माल या प्रवहण के निर्मुक्त करेगा।

(3) बोली प्रस्तुत किए जाने का अंतिम दिन या नीलामी की तारीख, उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन से पहले का नहीं होगा :

परन्तु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल प्रकृति में नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ–साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा।

(4) समुचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने हेतु ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किए जाने वाले पूर्व बोली निक्षेप की रकम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो, यथास्थिति, असफल बोली लगाने वालों को वापस की जा सकेगी, उस दशा में समपहृत की जा सकेगी, जब सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में असफल रहता है।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 40/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा नियम 144क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।

(5) समुचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को, नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा करते हुए, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–11** में नोटिस जारी करेगा :

परन्तु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल प्रकृति में नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ–साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा।

(6) समुचित अधिकारी, बोली की पूर्ण रकम का संदाय किए जाने पर, उक्त माल या प्रवहण का स्वामित्व और कब्जा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा और **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–12** में प्रणामपत्र जारी करेगा।

(7) समुचित अधिकारी, वहां प्रक्रिया को रद्द करेगा और पुनः नीलामी के लिए अग्रसर होगा, जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होता है या पर्याप्त सहभागिता की कमी के कारण या निम्न बोलियों के कारण नीलामी को अप्रतिस्पर्धात्मक समझा जाता है।

(8) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अपील फाइल की गई है, वहां इस नियम के अधीन अभिवहन में प्रतिधारित या अभिगृहीत माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्ति की वसूली के लिए कार्यवाहियों पर रोक लगाई गई समझी जाएगी :

परन्तु यह उपनियम नाशवान या परिसंकटमय प्रकृति के माल के संबंध में लागू नहीं होगा।